

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

12/17

पत्रावली मय हुई। पत्रावली करिकम
 नय/अनुमति। पीठासीन अधिकारी को
 /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अधिम
 कार्यवाही हेतु दिनांक 23.06.17
 को पेश हो।

23/17

पत्रावली आज राजा-१ लोक अदालत अवि
 : न्याय आपडे एवार कार्यक्रम 2017 के तहत
 के मय स्थल अदल लेवा केन्द्र, रलावता
 में पेश हुई। वकील वादीगण ने निवेदन
 किया कि प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी
 सं० 1 तथा 11 की ओर से राजीनामा पेश होकर
 माननीय भापालय द्वारा तस्वीत हो चुका
 है। अतः मुनाबित राजीनामा दावा डिमी
 फरमाया जावे।

निष्पत्तिका stamp
 अदालत के
 अपेक्षा से हुई
 डिमी को लगे के
 गेरे आपदि नहीं
 है।

TDR, K...



पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
 दातावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन
 किया गया जिनके अवलोकन ले एवं लोक
 अदालत की आवना ले तथा अतिथारी तस्वी
 नीलदार लहेला की अनापत्ति के आधार
 पर वादीगण का दावा अथवा राजीनामा
 स्वीकार किया जाना है तथा अपेक्षा किया जाना
 है कि :-

अनादेश

तत्त नाम फतेहपुरा ५० ह० रलावता तस्वीत लहेला
 अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 559, 560, 561
 278) 2.57 ह० में वादीगण व प्रतिवादिमा सं०
 1 व 2 के नाम दर्ज हिनमा 1/2 की जालेदारी
 ले प्रतिवादिमा सं० 1 व 2 का नाम हजुत किया
 जाकर वादीगण को जालेदार काश्तकार घोषित
 किया जाना है तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 को

नम्बर
अहकाम
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

को ज़मानेदार कारनकार घोषित किया जाना है।
 इन प्रकार वादीगण को उक्त सूचियों में कुल
 3/4 हिस्सा का ज़मानेदार कारनकार घोषित
 किया जाना है। कृषि अधिनियम सं. 381 रकबा
 1.71 हे० में प्रतिवादी सं. 10 व 11 के नाम दर्ज
 हिस्सा 1/4 की ज़मानेदारी से प्रतिवादी सं. 10 व
 11 का नाम हटाया किया जाकर उनके स्थान
 पर 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 3 को एवं
 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 4 को एवं 1/16
 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 5 को एवं 1/16 हिस्सा
 का प्रतिवादी सं. 6 ता 9 को ज़मानेदार कारनकार
 घोषित किया जाना है। उक्तानुसार राजपत्र
 रिकॉर्ड में अमल परामर्श हो तदनुसार प्रार्थना
 डिप्टी सुपरीस हो। परामर्शी केमल सुमार
 होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील
 दाखिल परामर्श हो। निर्वाचन मजमे आम पुग्नाय
 गया।

23/6/17

भागीरथ शाख
 (IAS)
 सहायक कलेक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

लत अधिन
 के तहत
 रसायन)
 निवेदन
 प्रतिवादी
 पेश होकर
 हो चुका
 का डिप्टी
 उपलब्ध
 व लोकन
 एवं लोड
 धारी तह-
 आधार
 की नाम)
 किया जाना)

समीक्षा के लिये
 580, 581
 प्रतिवादी सं.
 ज़मानेदारी
 हटाया किया
 कारनकार घोषित
 हुकम के विना